न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—जाकिर हुसैन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः—14/2019 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

बैंक ऑफ इंडिया शाखा—हनुमानगढ़ टाउन, जरिये प्राधिकृत अधिकारी

——प्रार्थी/सिक्योर कैडिटर

बनाम

1. श्रीमति प्रिया मक्कड पत्नी श्री अश्विनी मक्कड निवासी प्लाट नम्बर 4 पूरण नगर हनुमानगढ टाऊन, तहसील व जिला—हनुमानगढ़(राज.)

——(अप्रार्थी/ऋणी)

2. रेहान मार्केटिंग प्रोपराईटर श्रीमति प्रिया मक्कड पत्नी श्री अश्विनी मक्कड निवासी प्लाट नम्बर 4 पूरण नगर हनुमानगढ टाऊन, तहसील व जिला—हनुमानगढ़(राज.) **———(प्रोपराईटर)**
3. श्री अश्विनी मक्कड निवासी प्लाट नम्बर 4 पूरण नगर हनुमानगढ टाऊन, तहसील व जिला—हनुमानगढ़(राज.)।

——(गारन्टर)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित्त प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत सहायता हेतु प्रा.पत्र

आदेश दिनांकः—03.10.2019

प्रार्थी बैंक ऑफ इंडिया, शाखा हनुमानगढ टाऊन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ की ओर से श्री रामकुमार बिश्नोई वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी को दिनांक 09.10.2015 को 6,00,000(अखरे छःलाख रूपये) व दिनांक 28.01.2016 को 8,00,000/—रूपये (अखरे आठ लाख रूपये) कुल 14,00,000 (अखरे चौदह लाख रूपये) की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई थी। ऋणी/प्रोपराईटर/जमानतदार द्वारा ऋण की ऐवज में बंधक चल व अचल सम्पत्ति—(1) हाईपोथिकेशन स्टॉक सब्जी मण्डी, मस्जिद मार्केट, हनुमानगढ़ टाउन में स्थित है। (2) प्लॉट नं. 04, पूरण नगर हनुमानगढ टाऊन स्थित है जिसको ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में प्रार्थी बैंक के हक में सम्यबंधक व निष्पादन किया।

ऋणी द्वारा उक्त ऋण को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 31.03.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऋणी का खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऋणी/प्रोपराईटर/जमानतदार को दिनांक 04.04.2018 को मांग नोटिस भेज कर 60 दिन में ऋण राशि 14,45,809.91/–(अखरे रूपये चौदह लाख पैंतालीस हजार आठ सौ नो एवं पैसे इकरानवे मात्र) दिनांक 31.03.2018 तक एवं इस दिनांक के बाद का ब्याज व अतिरिक्त खर्चे, लागत इत्यादि मांग की गई। वकील ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवाई गयी व न ही बाक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया।

ऋणी एवं जमानतदार द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि बैंक को जमा नही करवाई है। उक्त एक्ट के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 14 के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को उक्त बंधक शुदा सम्पति का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे ताकि अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पति बेचकर बकाया ऋण राशि वसूल की जा सकें।

बैंक ऑफ इंडिया के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। ऋणी/प्रोपराईटर/जमानतदार द्वारा बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत ऋणी/जमानतदार को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी ऋणी/प्रोपराईटर/जमानतदार द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा बैंक ऑफ इंडिया के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक ऑफ इंडिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के वकील द्वारा बैंक के पास स्टॉक की नवीन स्थिति उपलब्ध नही होना बताया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी बैंक नवीन स्थिति का स्टॉक का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त ऋणी/प्रोपराईटर/जमानतदार द्वारा उक्त ऋण की सुविधा की एवज में प्रार्थी बैंक ऑफ इंडिया के पास बंधक अचल सम्पत्ति प्लाट नं. 04, पूरण नगर हनुमानगढ टाऊन, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से बैंक ऑफ इंडिया को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक ऑफ इंडिया को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ व बैंक ऑफ इण्डिया को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 03.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़